

क्रमांक/पर्यटन/व.जी./2025/एफ-152-III/ 10146

भोपाल, दिनांक 28/11/2025

प्रति,

समस्त क्षेत्र संचालक,
टाइगर रिजर्व मध्यप्रदेश।

विषय :-

रात्रि कालीन सफारी का संचालन बंद किये जाने बावत।

संदर्भ :-

उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली का पारित आदेश दिनांक 17.11.2025

-0-

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित आदेश (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके परिप्रेक्ष्य में लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा T.N. GODAVARMAN V/s UNION OF INDIA & OTHERS के प्रकरण में दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को Judgment पारित किया गया है। Judgment के बिन्दु क्रमांक-48.7. Complete ban on night tourism must be implemented; एवं बिन्दु क्रमांक-50.1.5 Adherence to the NTCA guidelines on tourism: We direct that all States must adhere to the NTCA guidelines on tourism, thus adopting the overarching aim for regulation to move towards a system of community-based tourism around Tiger Reserve. Its prescription against night tourism in entirety, is also hereby approval.

अतः उपरोक्त निर्देश के पालन में आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत रात्रि कालीन सफारी का संचालन दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 से बंद किया किया जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(शुभ्रजन सेन)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/पर्यटन/व.जी./2025/एफ-152-III/ 10147

भोपाल, दिनांक 28/11/2025

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली की ओर माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा T.N. GODAVARMAN V/s UNION OF INDIA & OTHERS के प्रकरण में दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को पारित Judgment के पालन में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र. की ओर माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा T.N. GODAVARMAN V/s UNION OF INDIA & OTHERS के प्रकरण में दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को पारित Judgment के पालन में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल